

24 27-9-18

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/11/2018/19/यो 4204
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/09/2018

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक जो दिनांक 07.09.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	24-5054-1401 (नाबाडी)	बैतूल शहर के मार्गों का चौड़ीकरण	17.20	642.22
2	बैतूल	24-5054-0103-2457	खेड़ी से बघोली व्हाया सिलगांव खड़ला बघोली मार्ग	17.60	437.27
3	दतिया	24-5054-1401	गोराघाट इंदरगढ़ सेनपुरा व्हाया भडोल मार्ग	7.50	226.12
4	रायसेन	24-5054-0101-2457	थाला दिगावान से शोकलपुर मार्ग	6.64	505.27
5	भोपाल	24-5054-0103-2457	थानेर तिराहा से खजूरी जमनिया मूडलाचंद से बेरखेड़ी घाट मार्ग	13.50	1158.13
6	भोपाल	24-5054-0101-2457	बीजापुर मोतीपुरा से शाहपुर रगडु मार्ग	23.67	1548.74
7	रायसेन	24-5054-0101-2457	उषापुर से पडरिया खुर्द तिगड्डा एस. एच.-15 तक मार्ग	5.30	396.01
8	सतना	24-5054-0101- (4149)	सतना जिले के धोबहट निमहा गांव मार्ग के कि. मी. 3/10 में पुतरी नाला पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	-	128.81

PATIL/SFC-173-A-2018-8

(Handwritten signature)

बाबत
संचालक
26/09/18
5154
2815178


2/ उक्त कार्यों को समक्ष में उल्लेखित मॉग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते है। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-08 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


सचिव 20.09.18
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग


कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग
निर्माण भवन प्लॉट न.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwd.gov.in email:se.pwdadminenc@mp.nic.in phone- 0755-2551316, fax 2556527

पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17/4269 भोपाल दिनांक 3/10/18
प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र ~~म.प्र. शासन~~ ~~भोपाल~~ ~~म.प्र. शासन~~
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग ~~भोपाल~~ ~~म.प्र. शासन~~ ~~भोपाल~~ ~~म.प्र. शासन~~
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रहित।
- 4 नार्वाड शाखा
- 5 बजट शाखा
- 6 श्री.पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:- 0


मुख्य अभियंता (यो/ब)
कार्यालय/ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/11/2018/19/यो 4201
प्रति,

भोपाल दिनांक 20/09/2018

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक जो दिनांक 07.09.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार कार्य की लागत 1.00 करोड़ से कम होने के कारण बजट पुस्तिका में प्रकाशित करवाना आवश्यक न होने के कारण निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लागत अनुसार मतदेय मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि0मी0 में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	मुरैना	24-5054-0101 -2457	रामलाल का पुरा से भौरु का पुरा मार्ग	2.00	97.85
2	मुरैना	24-5054-0101 -2457	सिंगरोली से माता का पुरा मार्ग	2.00	98.66
3	मुरैना	24-5054-0101 -2457	चोडेरा से किरावली पहुँच मार्ग	0.90	99.88
4	रायसेन	24-5054-0101 -2457	राष्ट्रीय राजमार्ग 12 से खरगोन पटैल मोहल्ला पहुँच मार्ग	1.80	99.22
5	रायसेन	24-5054-0101 -2457	लमटा टोंगा मार्ग से रामघाट मन्दिर पहुँच मार्ग	1.27	99.62
6	रायसेन	24-5054-0101 -2457	सिलवानी सुल्तानगंज ककरुआ मार्ग से खमेरा मार्ग के कि. मी. 3/2 में नकटी नदी पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण	0.00	99.83
7	रायसेन	24-5054-0101 -2457	सिंगौटा से पिपलिया मार्ग के कि. मी. 1/10 में घोघरा नदी पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण	0.00	99.83
8	रायसेन	24-5054-0101 -2457	महुआखेड़ा से जामनपानी घोघरी मार्ग के कि. मी. 1/8 में तेंदुनी नदी पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण कार्य मय पहुँच मार्ग सहित	0.00	99.83
9	रायसेन	24-5054-0101 -2457	सिलवानी सुल्तानगंज ककरुआ मार्ग से खमेरा मार्ग	2.01	99.75

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
10	रायसेन	24-5054-0101 -2457	बेरखेड़ी से हिनोतिया मार्ग के कि. मी. 4/2 में नकटी नदी पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण मय पहुँच मार्ग सहित	0.00	99.83
11	शिवपुरी	24-5054-0101 -2457	पिछोर दिनारा मार्ग से करारखेड़ा मार्ग	0.50	48.81
12	रायसेन	24-5054-0101 -2457	अनघोरा से बाँसखेड़ा मार्ग के कि. मी. 4/4 में कुफनया नदी पर स्लेब कल्वर्ट का निर्माण कार्य मय पहुँच मार्ग।	0.00	99.83
13	विदिशा	24-5054-0101 -2457	बामनखेड़ा पहुँच मार्ग	0.80	97.12
14	इंदौर	24-5054-0101 -2457	उण्डवा से बडगांव मार्ग	1.80	96.57
15	इंदौर	24-5054-0101 -2457	भेरमी से कवटिया झिरी मार्ग	1.80	96.57
16	इंदौर	24-5054-0101 -2457	फुंद से लालपुरा मार्ग	1.85	98.83
17	इंदौर	24-5054-0101 -2457	पिपलिया लोहार अटल आवास मार्ग	1.60	94.92
18	सीहोर	24-5054-0101 -2457	रेस्ट हाउस नसरुल्लागंज पहुँच मार्ग	0.25	51.59
19	ग्वालियर	24-5054-0101 -2457	ग्वालियर जिले अंतर्गत इंदरगढ़ पिछोर मार्ग के राज्य मार्ग घोषित होने के कारण भारत सरकार के द्वारा जारी सी. आर. एफ. योजनांतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति की 10 प्रतिशत सीमा के अतिरिक्त शेष राशि की स्वीकृति	9.60	76.26
20	सागर	24-5054-0101 -2457	समसपुर से नीमखेड़ा पहुँच मार्ग	1.50	75.80
21	सागर	24-5054-0101 -2457	खराखेड़ी से अचनवारा मार्ग	1.40	70.38
22	सागर	24-5054-0101 -2457	गढ़ोला जागीर प्रधानमंत्री सड़क से सुमरेरी पटेल के टपरा तक मार्ग	1.20	88.22
23	भोपाल	67-4216- 1938	शिवाजीनगर भोपाल स्थित शासकीय बंगला क्र. सी-15 में ऑफिस ब्लॉक का निर्माण	-	21.31
24	जबलपुर	67-4059-0101 8042	रेस्ट हाउस मझौली केम्पस में बोरिंग कार्य	-	1.61

u

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/11/2018/19/यो 4199
प्रति,

भोपाल दिनांक 20/09/2018

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक जो दिनांक 07.09.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की उनके सम्मुख दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार मतदेय मद के अंतर्गत प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है:-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	मुरैना	24-5054-0101 -2457	निदान से स्यारू व्हाया सकतपुरा मार्ग	8.40	560.40
2	मुरैना	24-5054-0101 -2457	चिन्नोनी चम्बल से खेड़ाकलां मार्ग	5.80	423.21
3	रतलाम	24-5054-0101 -2457	सी. आर. एफ. योजनांतर्गत ताल करवाखेड़ी माधोपुर असावती खुचरोद बड़वन मार्ग पर विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य	-	99.79
4	रतलाम	24-5054-0101 -2457	सी. आर. एफ. योजनांतर्गत आलोट पाटन तालोद झुटावद सगवाली ईसानखेड़ी, डेलची बुजुर्ग मार्ग के शहरी भाग पर विद्युत पोल शिफ्टिंग का कार्य	-	101.17


2/ उक्त कार्यों को मांग संख्या 24-5054-0101-2457 के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उपरोक्त कार्यो हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी की गई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की जावें।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यो को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-04 प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

 20.09.18

(आर0 के0 मेहरा)

सचिव

मध्य प्रदेश शासन

लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लाट न.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwd.gov.in email:se.pw/adminenc@mp.nic.in phone- 0755-2551316, fax 2556527

पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17/14207 भोपाल दिनांक 25/9/18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र ~~भोपाल~~ 33/9/18
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग ~~भोपाल~~ 33/9/18
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
- 4 नार्वाड शाखा
- 5 बजट शाखा
- 6 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:- 0

मुख्य अभियंता (यो/ब)

कार्यालय/ प्रमुख अभियंता

लोक निर्माण विभाग म.प्र भोपाल

मध्यप्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ-43/11/2018/19/यो 4204
प्रति,

भोपाल दिनांक 22/09/2018

✓ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग
भोपाल।

विषय:- लोक निर्माण विभाग की स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक में अनुमोदित कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति बाबत।

—0—

राज्य शासन एतद् द्वारा स्थायी वित्तीय समिति की 173वीं बैठक जो दिनांक 07.09.2018 को प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग की अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, के अनुमोदन अनुसार निम्नलिखित कार्यों की दर्शायी गई लंबाई एवं लागत अनुसार योजना मद के अंतर्गत पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है-

क्र.	जिला	मांग संख्या	कार्य का नाम	लंबाई (कि०मी० में)	राशि (रु.लाख में)
1	2	3	4	5	6
1	बैतूल	24-5054-1401 (नाबार्ड)	बैतूल शहर के मार्गों का चौड़ीकरण	17.20	642.22
2	बैतूल	24-5054-0103-2457	खेड़ी से बघोली व्हाया सिलगांव खड़ला बघोली मार्ग	17.60	437.27
3	दतिया	24-5054-1401	गोराघाट इंदरगढ़ सेनपुरा व्हाया भडोल मार्ग	7.50	336.12
4	रायसेन	24-5054-0101-2457	थाला दिगावान से शोकलपुर मार्ग	6.64	505.27
5	भोपाल	24-5054-0103-2457	थानेर तिराहा से खजूरी जमनिया मूडलाचंद से बेरखेड़ी घाट मार्ग	13.50	1158.13
6	भोपाल	24-5054-0101-2457	बीजापुर मोतीपुरा से शाहपुर रगडु मार्ग	23.67	1548.74
7	रायसेन	24-5054-0101-2457	उषापुर से पडरिया खुर्द तिगड्डा एस. एच.-15 तक मार्ग	5.30	396.01
8	सतना	24-5054-0101- (4149)	सतना जिले के धोबहट निमहा गांव मार्ग के कि. मी. 3/10 में पुतरी नाला पर पुल एवं पहुँच मार्ग का निर्माण कार्य	-	128.81




2/ उक्त कार्यों को समक्ष में उल्लेखित मॉग संख्या के अंतर्गत उपलब्ध धन राशि से संपन्न कराये जावें। कार्यों हेतु प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन वापिस किये जाते हैं। शासन चाहता है कि प्रारंभिक औपचारिकताएँ पूर्ण कर कार्य नियमानुसार संपन्न कराये जावे, तथा पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति में प्रावधानित राशि से किसी भी स्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जावें।

3/ उक्त कार्यों हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति अनुसार अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नियमानुसार कार्य संपन्न कराया जाये।

4/ उक्त स्वीकृत कार्यों को वेबसाईड पर डाला जाये।

सहपत्र:-08 पुनरीक्षित प्राक्कलन

म0प्र0 के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


सचिव 20.09.18
मध्य प्रदेश शासन
लोक निर्माण विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग

निर्माण भवन प्लाट न.27-28 प्रथम तल अरेरा हिल्स भोपाल

web site: www.mppwd.gov.in email:se.pwdadminenc@mp.nic.in phone- 0755-2551316, fax 2556527


पृ.क्र...../योजना/प्रशासकीय स्वीकृति/संचार/17/4213

भोपाल दिनांक 20/9/18

प्रतिलिपि:-

- 1 मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग परिक्षेत्र ~~उज्जयिनी~~ ~~कोण~~ / ~~जगदलपुर~~ / ~~वेब~~ ~~भोपाल~~
- 2 अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मण्डल
- 3 कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग ~~भोपाल~~ / ~~उज्जयिनी~~ / ~~अंधा~~ / ~~सतना~~ / ~~रेव~~
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रपिप्त।
- 4 नार्वाड शाखा
- 5 बजट शाखा
- 6 श्री पी.कुमार कम्प्यूटर प्रोग्रामर (वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु)

सहपत्र:-0


मुख्य अभियंता (यो/ब)
कार्यालय/ प्रमुख अभियंता
लोक निर्माण विभाग म.प्र. भोपाल